(6)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 53/प्र0अ0(त0रा0–2)/जोन–5/2014–15 दिनांक 13/01/2015

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु स्पष्ट यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निजियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री ब्रम्ह प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 हर प्रताप सिंह द्वारा आराजी सं0–390मि., 389 मौजा–कटका परगना–झूँसी, तहसील–फूलपुर, जिला इलाहाबाद जोन संख्या (5) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित व्यवसायिक भवन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 14.10.2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को व्यवसायिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 11 उन्नत वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल पर निर्माण कार्य स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, जिसमें बेसमेन्ट में पार्किंग, भूतल पर हॉल, प्रथम तल पर कार्यालय भवन निर्माण की अनुमति दी जा रही है।
6. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराते हुए भू गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही जमा एफ0डी0आर0 अवमुक्त किया जायेगा।
7. अधिशासी अभियन्ता–लोक निर्माण विभाग इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या–1040/ई–री पार्ट/14 दिनांक 12.11.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
8. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. मकान निर्माण से यदि नाली के उपरान्त की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो मकान तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर दें।
11. यह स्वीकृत पत्र केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए है।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसा मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
13. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

13/01/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)
प्रभारी अधिकारी(त0रा0–2)

मूल प्रति व अनुमोदित पत्र प्राप्त किया।
ब्रह्म प्रकाश सिंह
13/1/15

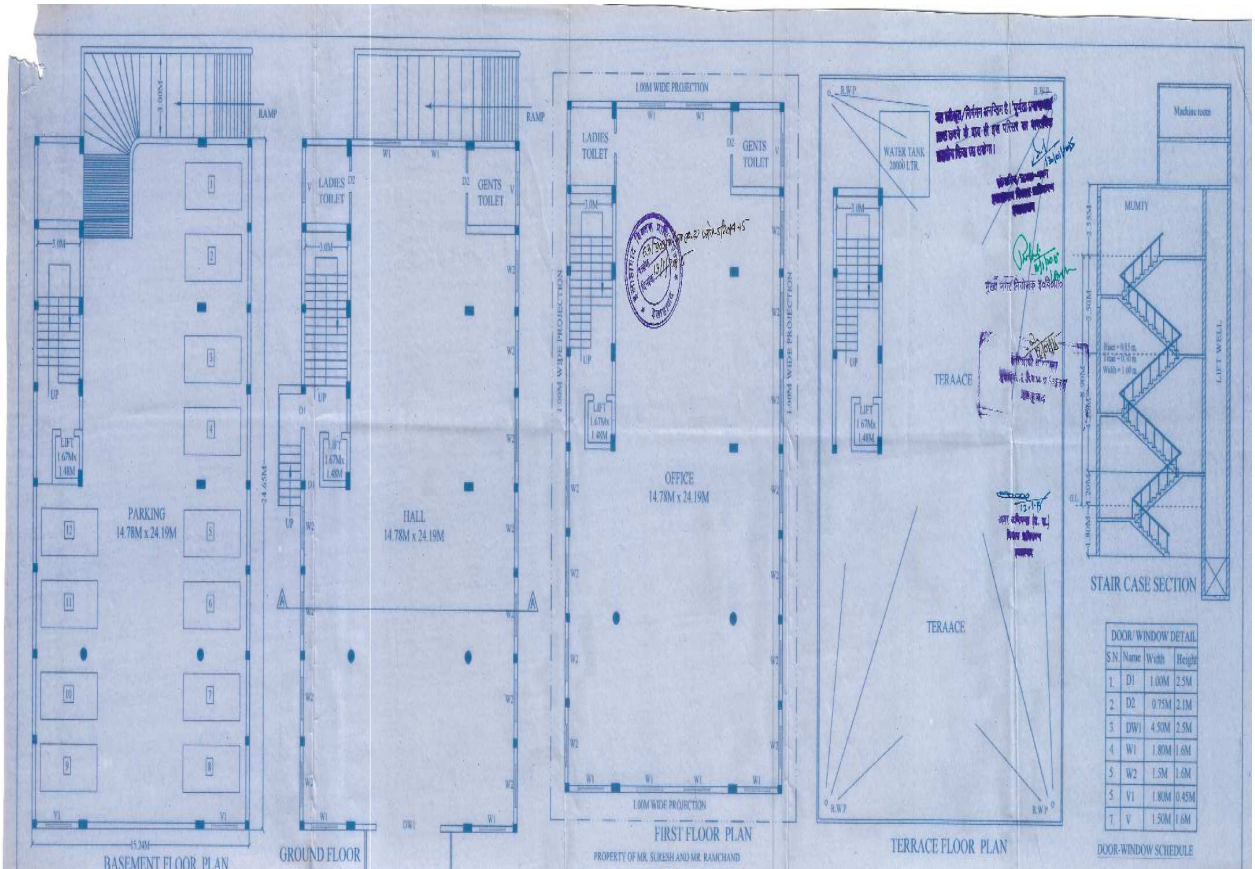

DOOR/WINDOW DETAIL			
S.N.	Name	Width	Height
1.	D1	1.00M	2.5M
2	D2	0.75M	2.1M
3	DW1	4.50M	2.5M
4	W1	1.80M	1.6M
5	W2	1.5M	1.6M
5	V1	1.80M	0.45M
7	V	1.50M	1.6M

DOOR-WINDOW SCHEDULE

AREA CHART

S.N.	REFERENCE	SQ. MT.	%	FLOOR ARAE FOR PARKING
1.	TOTAL AREA OF PLOT	1170.68 Sq.Mtr.		
2.	ROAD WIDENING AREA	95.57 Sq.Mtr.		
3.	NET AREA OF PLOT	1075.11 Sq.Mtr.		
4.	GROUND COVERAGE	375.85 Sq.Mtr.	34.95%	
5.	COVERED AREA ON BASEMENT FLOOR (PARKING)	375.85 Sq.Mtr.		
6.	COVERED AREA ON GROUND FLOOR	375.85 Sq.Mtr.		325.35 Sq.Mtr.
7.	COVERED AREA ON FIRST FLOOR	375.85 Sq.Mtr.		325.35 Sq.Mtr.
8.	TOTAL COVERED AREA OF ALL FLOOR	751.70 Sq.Mtr.		
9.	F.A.R.	0.69%		
10.	REQUIRED PARKING AREA FOR SHOP			
	Total Covered Area @ 3 eq.Car space / 100 sq.mt Covered Area = 325.35 x 3 = 9.76 eq.Car space 100			
11.	REQUIRED PARKING AREA FOR OFFICE			
	Total Covered Area @ 2 eq.Car space / 100 sq.mt Covered Area = 325.35 x 2 = 6.50 eq.Car space 100			
12.	REQUIRED TOTAL NO. OF CAR = 16.26 (16 CAR)			
13.	PROVIDED CAR PARKING			
14.	PARKING IN THA BASEMENT @ 32 SQ.MTR. PER CAR = 375.85/32 = 11.74 CARS IN BASEMENT			
15.	12 CAR SHOWN IN BASEMENT FLOOR & 5 NO. CAR PARKING PROVIDED IN FRONT OPEN SPACE			
16.	PROVIDE TOTAL NO. OF CAR SPACE = 16 CARS			
17.	MUMTY & MACHINE ROOM AREA	31.56 Sq.Mtr.		

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING ON ARAZI NO. 390 ME & 389 MAUZA KATKA PARGANA JHUNSI, ALLAHABAD.

BELONGING TO,

MR. BRAHMA PRAKASH SINGH S/O OF LATE HAR PRATAP SINGH

ARCHITECT SIGN	OWNER'S SIGN	AAKRITI architects & engineers k-1 prayag kunj, strachey road allahabad ph. 2260373
ANIL K. GUPTA B.Sc., B.ARCH ARCHITECT Regd. No. CA/88/12407		

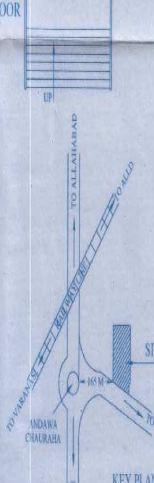

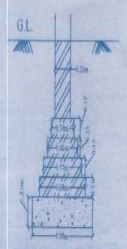

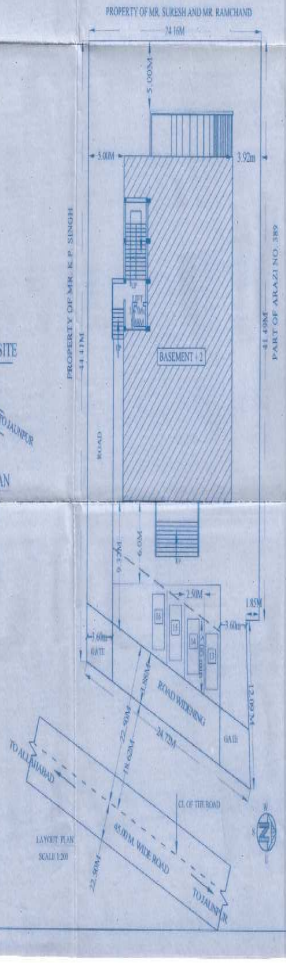

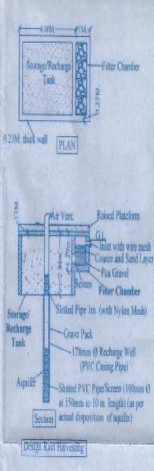

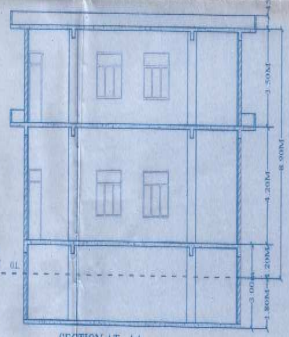

SCALE 1:100

This nap is prepared as per bhawan upvidhi 2008 & master plan 2021